



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष , 1943 (श०)

संख्या- 634 राँची, बुधवार,

22 दिसम्बर, 2021 (ई०)

### परिवहन विभाग

-----

#### अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना संख्या-परि०आ०-204/2016-1213--झारखण्ड मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली, 2017 (झारखण्ड गजट संख्या-522, दिनांक-24.07.2017) के आलोक में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा "ग्रामीण बस सेवा" हेतु अनुमोदित एवं संसूचित मार्ग की सूची, जिसे राज्य सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 65, 95, 96, 138 एवं 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम सूचना जापांक-1214, दिनांक-01.12.2021 (झारखण्ड गजट सं०-595, दिनांक-03.12.2021) द्वारा दिनांक- 15.12.2021 तक जनसाधारण एवं प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया तथा आपत्ति/सुझाव की माँग की गई थी। प्रकाशित गजट पर विहित समय सीमा के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार "ग्रामीण बस सेवा" हेतु अनुमोदित एवं संसूचित निम्नांकित मार्ग को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोल्हानजिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

क्र० सं०	पथ का नाम (भाया सहित)	पथ की कुल लम्बाई (कि०मी०)	पथ का वह अंश		
			जो एन०एच० में पड़ता है।	जो एस०एच० में पड़ता है।	जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है।
1.	झिमड़ी से टाटा भाया- रघुनाथपुर, निमडीह, पोखरिया, माधवपुर, सुसनी, कटिंग	70	03	15	52

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**मनोज कुमार,**  
अवर सचिव  
परिवहन विभाग ।

-----